राजस्व विविध GCMS नंबर 2025/446 बअनवान प्रतापराम बनाम भीकीदेवी वगैरा
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

...ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी उपस्थित। अप्रार्थी अधिवक्ता श्री छगनलाल प्रजापत उपस्थित। उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई एवं उपतहसीलदार नाना द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात है कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये कोई रास्ता नहीं होने से रास्ते का आवेदन इस न्यायालय में किया गया था। जो प्रकरण संख्या 62/2024 बअनवाना प्रतापराम बनाम तहसीलदार बाली दिनांक 28.02.2022 को स्वीकार करते हुये ग्राम कोठार के खसरा नंबर 560 व 554 राजकीय सिवायचक भूमि में से रास्ता दिये जाने के आदेश पारित किये गये। जिस आदेश से व्यथित होकर भीकीदेवी पत्नी भैराराम द्वारा अपील आरएए पाली के न्यायालय में की गई। जो अपील संख्या 41/2023 भीकीदेवी बनाम प्रतापराम वगैरा दिनांक 24.12.2024 को स्वीकार कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषण किया गया कि नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारी से प्रकरण में पुनः जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे। पारित निर्णय की अनुपालना मे नायब तहसीलदार नाना से रिपोर्ट भी तलब की जा चुकी है तथा उपतहसीलदार नाना ने अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2025/229 दिनांक 01.12.2025 से ग्राम कोठार के खसरा नंबर 554 व 560 में से पुनः रास्ता प्रस्तावित करते हुये निम्नानुसार रिपोर्ट पेश कीः-

खसरा नंबर	रकबा हैक्ट.	रास्ते के लिये प्रस्तावित क्षैत्रफल (वर्गमीटर)	नाम खातेदार
554	0.91	138X6=828	राजकीय सिवायचक भूमि
560	0.67	141X 6=846	राजकीय सिवायचक भूमि

डी.एल.सी. दर 151310/-रूपये प्रति हैक्टर है।
उपस्थित वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात माफिक रिपोर्ट उपतहसीलदार नाना प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कोठार के खसरा नंबर 446, 545, 547 तक पहुंच के लिये धारा 251 ए के प्रावधानों अनुसार निम्नानुसार नवीन रास्ता देय प्रतिकर राशि का निर्धारण किये जाने के आदेश दिये जाते हैः-

खसरा नंबर	रकबा हैक्ट.	रास्ते के लिये प्रस्तावित क्षैत्रफल (वर्गमीटर)	डी.एल.सी. दर 151310/- प्रति हैक्टर अर्थात प्रतिवर्गमीटर	कुल देय प्रतिकर राशि	नाम खातेदार
554	0.91	138X6=828	16	**13248*2=26496**	राजकीय सिवायचक भूमि
560	0.67	141X 6=846	16	**13536*2=27072**	राजकीय सिवायचक भूमि

प्रतिकर राशि प्रार्थी द्वारा तहसील कार्यालय में जमा कराई जावेगी। तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चिता के पश्चात् प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रेकर्ड में बतौर गै.मु. रास्ता दर्ज करने के साथ नक्शे में तरमीम की व्यवस्था करे। उपतहसीलदार, नाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व नक्शे को आदेश का भाग माना जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी, बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner